

जूनियर हाई स्कूल

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक,
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवामें,

प्रबन्धक,

इकरा पब्लिक स्कूल, इकरा कालोनी, सर सैयद नगर, अलीगढ़।

पत्रांक: सी०एस०/मान्यता/ 1601-05 /95-96 दिनांक: 29-5-95
विषय:- असासकीय उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक "ब" ग्रेणी की मान्यता
के बारे में।

महोदय,

शासकीय संख्या: 217/15-6-92-18-स्त 171/89 दिनांक 11-5-92 में
दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के
निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक "ब" ग्रेणी की मान्यता-यह
आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ष की
अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित
शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे:-

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक अध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ ग्रेणी	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभावा/क्वाफ्ट/प्रसाह अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे।
शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का
अधिकार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक,
आगरा मण्डल, आगरा।

पृ०सं०सी०एस०/मान्यता/

/95-96

तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2-सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल।
- 4-लेखाधिकारी, कोषालय जिला बेसिक शिक्षा परिषद, आगरा मण्डल।
- 5-जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, आगरा मण्डल।
- 6-उप विद्यालय निरीक्षक/ शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षक, आगरा मण्डल।
- 7-कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक,
आगरा मण्डल, आगरा।

95-96 मान्यता

पुस्तक

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

सेवा में

सम्बन्धक,

इकरा प्रोवीन्स - इलाहाबादी
अलीगढ़।

पत्रांक मान्यता / 28/10/95-96 दिनांक 12-3-96
विषय- प्राथमिक स्तर की अस्थापी मान्यता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में
हिन्दी माध्यम

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अज्ञात करना है कि जनसदोष मान्यता समिति
कम से कम दिनांक 17-1-96 के निर्णय के अनुरोध आपके विद्यालय को कक्षा 5
तक प्राथमिक स्तर की अस्थापी मान्यता का नवीनीकरण वर्ष 1995-96
अर्थात् 1-7-95 से 30 जून 1996 तक निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान किया
जाता है।

कृपया कृपया निम्नलिखित प्रतिबन्धों को पूर्ति कर नवीनीकरण/अस्थापी
मान्यताओं आवेदन पत्र नियमानुसार 30-9-96 तक इस कार्यालय में प्रेषित करें।

- 1- विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएँ रखी जायें।
- 2- विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें ही प्रदायी जायें।
- 3- विभाग द्वारा स्वीकृत निर्धारित शाल्क लिख जायें।
- 4- विभागीय नियमों/निर्देशों का पालन किया जायें।
- 5- भावन की निजी एवं पर्याप्त व्यवस्था की जायें।

किसी प्रकार की प्राप्त शिकायत का जांच सहो पार जाने पर मान्यता
मान्यता प्राप्त होने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित है।

भावदीय

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

पूरा मान्यता /

95-96

दिनांक

प्रेषित है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1- उप विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।
- 2- सम्बन्धित शिक्षण अधीक्षक/शिक्षण अधीक्षिका, जनसद अलीगढ़।

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

सेवा में

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

1996-97 मान्यता

प्रबन्धांक,

इकरा प्रा. वि. स्कूल,
इकरा नगर अलीगढ़।

पत्रांक मान्यता/2576/96-97

दिनांक 31-03-1997

विषय- प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि जनपदीय मान्यता समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को वक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता का नवीनीकरण वर्ष 1996-97 अर्थात् 30-6-96 से 30-6-97 तक निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान किया जाता है। यह मान्यता हिन्दी माध्यम से मान्य है।

कृपया निम्नलिखित प्रतिबन्धों को पूरति कर मान्यताार्थी आवेदन पत्र नियमानुसार 30-9-97 तक इस कार्यालय में प्रेषित करें।

- 1- विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएँ रहो जाएँ।
- 2- विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें हो पढ़ायी जायँ।
- 3- विभाग द्वारा स्वीकृत निर्धारित शुल्क लिया जाय।
- 4- विभागीय नियमों/आदेशों का पालन किया जाय।
- 5- भावन की निजी एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

किसी प्रकार का प्राप्ता शिक्षागत के जाँच के सहो पाए जाने पर मान्यता वापित लिए जाने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित है।

भावदीय

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

सं० मान्यता।

196-97

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

दिएत है:-

- 1- उप वैसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।
- 2- सम्बन्धित शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका, जनपद अलीगढ़।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।